<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 184/2020 **दायर दिनांकः 05/11/2020**

उनवान

1. राजाराम आयु 60 वर्ष पुत्र जयलाल जाति रेबारी
2. श्यामलाल आयु 52 वर्ष पुत्र जयलाल जाति रेबारी निवासीगण ढाणी शिवनगर तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92''ए'' आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाक : 14/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92''ए''आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खाता संख्या 171 ख0नं0 56 रकबा 0.60 है0, भूमि स्थित चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि सुवा पुत्र नाथू के दर्ज खाता चली आ रही है। खातेदार सुवा लाओलाद था तथा वादीगण के पास रहता था। वादीगण ने उसकी सेवा सश्रुसा की। उसका स्वर्गवास वादीगण के पास ही हुआ था। उसने अ[illegible]काल में वादीगण के पक्ष में वादीगण को अपना वारिसान घोषित कर वरिसा[illegible] में वादीगण [illegible] पक्ष में वसीयत कर दी थी। खातेदार सुवा 4 भाई थे जिनमें सुवा, गरवर, जय[illegible] के चारो भाईयों का [illegible]वास हो चुका है। इन भाईयों मे से एक भाई जयलाल के ही संतान थी बांकी भाई लाओलाद थे। वादीगण खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:14 IST
Reason: Self Attested

सुवा के भाई जयलाल के पुत्रगण है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची वर्ग 2 के अनुसार वादीगण सुवा की भूमि पर खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने दिनांक 15.9.2020 को श्रीमान तहसीलदार साहब से वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित भूमि पर वारिस प्रमाण पत्र मय वसीयत नामा एवं हिन्दू उत्तराधिकार नियम की अनुसूची वर्ग 2 के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने के लिये निवेदन किया तो उनने माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। बिना सहायता न्यायालय वादीगण खातेदार कृषक घोषित होना सम्भव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में खातेदार घोषित किये जाने बाबत् वाद प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी पी. सी. का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80(2) सी.पी.सी. के पृथक से प्रार्थना पत्र के साथ वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 15.09.2020 को श्रीमान तहसीलदार साहब, द्वारा वादीगण के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने से मना करने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावेः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित [illegible] न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्र[illegible] तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के का[illegible] जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्यवादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:14 IST
Reason: SelfAttested

तहत् PW_1 से PW_3 के शपथ पत्र पेश किये व रिकार्ड EXP करवाये गये। अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया, तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश प्रदान करें, तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम कनोटिया की खाता संख्या 171 ख0नं0 56 रकबा 0.60 है0 भूमि खातेदार सुवा पुत्र नाथू के खाते दर्ज है। खातेदार सुवा की मृत्यु 10.08.2006 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र EXP 2 संलग्न है। सुवालाल रेबारी पुत्र नाथूलाल रेबारी ग्राम पिचोलिया ढाणी द्वारा वारिस प्रमाण पत्र EXP 4 तहरीर लिखी है। जिसमें सुवालाल के कोई औलाद नही होने व मरने के बाद पूरी प्रोपटी राजाराम व श्यामलाल के रहेगी, यह दौनो मेरे भाई जयलाल पुत्र नाथूलाल के पुत्र है।

इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का कनोटिया से रिपोर्ट ली गई, रिपोर्ट में भी सुवालाल की मृत्यु होना बताया गया है। जो अविवाहित फोत हुआ है। जिसके 4 भाई 1 बहिन है, जिनमें से एक भाई जयलाल के पुत्र राजाराम व श्यामलाल है। साक्ष्यवादी के अनुसार भी सुवालाल लाऔलाद फोत हुआ है। वादीगण द्वारा ही उसकी सेवा सुश्रुसा की है।

रिकार्ड व साक्ष्य अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कनोटिया की खाता संख्या 171 ख0नं0 56 रकबा 0.60 है0 में वादीगण 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:14 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 184 / 2020

उनवान

1. राजाराम आयु 60 वर्ष पुत्र जयलाल जाति रेबारी
2. श्यामलाल आयु 52 वर्ष पुत्र जयलाल जाति रेबारी निवासीगण ढाणी शिवनगर तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92''ए'' आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कनोटिया की खाता संख्या 171 ख0नं0 56 रकबा 0.60 है0 में वादीगण 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	[illegible] वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	[illegible]	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:14 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)